

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-6)

एफ- 27(252)ग्राविदि/गुप-5/जीकेएन/एसओपी/2015-18 जयपुर दिनांक : 10 मार्च, 2016

स्थायी आदेश संख्या- 25 / 2015

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ- 27 (79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या- 22/2015 दिनांक 27.11.2015 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पॉवर्स तालिका - 1 में निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों में संशोधन किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत के लिए प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं पंचायत समिति को प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए शिड्यूल ऑफ पॉवर में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


परिशिष्ट -1 प्रशासनिक स्वीकृति

क्र. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियाँ निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपों में)		शर्तें/टिप्पणियाँ
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1-अ	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	10.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें / टिप्पणियाँ क्र.सं. 1 से 12 तक लागू होंगी। एवं निम्न अतिरिक्त शर्तें संख्या-13 भी लागू होंगी। 13 सबक निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आग रास्तों के लिए भूमि से सम्बंधित कास्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

परिशिष्ट -2 वित्तीय स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/ समिति जिसको शक्तियाँ निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपों में)		शर्तें/टिप्पणियाँ
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1-अ	निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (विधायक व सांसद कोष, महात्मा गांधी नरगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	10.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें/टिप्पणियाँ क्र.सं. 1 से 10 तक लागू होंगी।
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(श्रीमत् प्राण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव